बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

विज्ञापन सं०–37/2023

वाहन चालक के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

1. विभिन्न विभागों में वाहन चालक के कुल–145, रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों (जो भारत के नागरिक हों) से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाईट **www.btsc.bih.nic.in** पर **दिनांक–01.09.2023 से 30.09.2023 तक** ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

वाहन चालक के पद पर नियुक्ति हेतु अधियाची विभागों द्वारा प्राप्त अधियाचनाओं की विवरणी, पदों की विवरणी, वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित रूप से है:–

पदनाम	वेतनमान	योग्यता
वाहन चालक	**वेतनमान– 5200–20,200/– ग्रेड० पे०–1900/– वेतन स्तर–2**	(i) उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होगी। (ii) वाहन चालन का उन्हें वैध लाइसेंस प्राप्त रहना आवश्यक होगा। (iii) यातायात विनियमन की उन्हें अच्छी जानकारी रहना आवश्यक होगा। (iv) वाहन चालन की उन्हें सामान्य जानकारी का रहना आवश्यक होगा। (v) उन्हें स्वस्थ रहना आवश्यक होगा।

विभाग का नाम	पदों की कोटिवार विवरणी								
	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिला	कुल	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए 2%
	35% महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण								
सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना	02	00	02	00	02	01	00	07	00
	00	00	01	00	01	00	N/A	02	
वित्त विभाग, बिहार, पटना	17	04	06	00	05	05	01	38	01
	05	01	03	00	02	01	N/A	12	
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार, पटना	30	07	13	01	14	04	03	72	02
	10	02	04	00	05	01	N/A	22	
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	01	00	00	00	00	00	00	01	00
	---	---	---	---	---	---	---	---	
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	12	03	05	01	03	02	01	27	00
	03	01	02	00	01	01	N/A	08	
कुल:–	62	14	26	02	24	12	05	145	03

नोट–(i) अधियाचित रिक्तियों में दिव्यांग हेतु कोई रिक्तियाँ कर्णांकित नहीं है।

(ii) काउंसलिंग के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

2. आयु सीमाः– (i) 01.08.2023 को न्यूनतम आयुः– 18 वर्ष।

अधिकतम उम्र सीमाः–

(a) अनारक्षितः–37वर्ष

(b) अनारक्षित महिलाः–40 वर्ष

(c) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष/महिला):–40 वर्ष

(d) अनु० जाति/अनु० जनजाति (पुरूष/महिला):–42 वर्ष

आयोग द्वारा Matriculation या समतुल्य प्रमाण–पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जायेगी।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०–2374, दिनांक–16.07.2007 एवं पत्रांक–13107, दिनांक–20.09.2019 के आलोक में, ऐसे सरकारी सेवक (बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक) जो तीन वर्षो की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 (पाँच) वर्षो की छूट अनुमान्य हैं।

(iii) राज्य सरकार के किसी कार्यालय में वाहन चालक के पद पर संविदा के आधार पर विधिवत नियोजित अभ्यार्थियों को अधिकत्तम उम्र सीमा में उक्त नियोजन की अवधि (अधिकत्तम 5 वर्षो) तक की छूट दी जा सकेगी तथा किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जायेगा। उम्र सीमा में छूट की गणना का Cut-off date-01.08.2023 होगा।

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–212, दिनांक–23.01.2006 के प्रावधान के आलोक में पूर्व के वर्षों में वाहन चालक हेतु B.S.S.C द्वारा प्रकाशित विज्ञापन सं०–13010116 में 01.08.2015 की तिथि से उम्र की गणना की गयी थी। अतः वैसे अभ्यर्थी, जो दिनांक–01.08.2015 से 01.08.2023 तक इस विज्ञापन में वर्णित वांछित योग्यता रखते हैं, उन्हें कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा में अर्हता प्राप्त करने की तिथि से **दिनांक–01.08.2023 तक** की अवधि का छूट देय होगा।

(v) किसी अभ्यर्थी को कंडिका–2(ii), (iii) एवं (iv) में से कोई एक ही छूट अधिकतम आयु सीमा में देय होगा।

3. **आरक्षणः–**

(i) ऑनलाईन आवेदन के प्रासंगिक कॉलम में आरक्षण का दावा करना अनिवार्य होगा। आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।

(iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगाः–

(a) जाति प्रमाण–पत्र

(b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र

(B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगाः–

(a) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)

(b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र

(C) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निम्नांकित प्रामाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगाः–

(a) आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र

(b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र

उक्त सभी प्रमाण पत्र अपने स्थाई अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत किया गया मान्य होगा।

नोटः—(i) केवल जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के सदस्यों हेतु क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र से इतर अन्य जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या–673, दिनांक–08.03.2011 के आलोक में महिला अभ्यर्थियों हेतु जाति (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु) एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र (पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग हेतु) पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना अनिवार्य है। साथ ही इस प्रसंग में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–15760, दिनांक–02.09.2022 के आलोक में भी कार्रवाई की जायेगी।

(iii) आय एवं परिसम्पति संबंधी प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा।

<u>आरक्षित कोटि</u>

क्र० सं०	आरक्षित कोटि
1.	अनुसूचित जाति (SC)
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)
3.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)
4.	पिछड़ा वर्ग (BC)
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
6.	पिछड़े वर्गों की महिला (WBC)

(iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण का अंकण आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षित कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव पंजीकरण के उपरांत नहीं किया जा सकेगा। दावा किये गये कोटि से इतर कोटि का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने अथवा अन्य किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

(v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–13185, दिनांक–03.09.2015 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–11687, दिनांक–30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। **(स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है)**

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के 2342, दिनांक–15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35% क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–16144, दिनांक–28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(viii) ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण के इंगित कॉलम में आरक्षित कोटि/स्वतंत्रता सेनानी के पोता–पोती, नाती–नतिनी का दावा नहीं करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होंगे।

(ix) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–12722, दिनांक–12.09.2014 के आलोक में किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेंडर (थर्डजेंडर) को पिछड़ें वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ देय होगा।

4. <u>आवेदन शुल्कः</u>– Online आवेदन करने हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क निम्नवत् हैः–

क्र० सं०	उम्मीदवार की कोटि	निर्धारित आवेदन शुल्क
1	सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रू0 600
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)	रू0 150
3	आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)	रू0 150
4	राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला/पुरुष हों।	रू0 600

(i) अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग या **एस. बी. आई** के ई–चलान के माध्यम से जमा किया जायेगा एवं रसीद की प्रति आवेदक के पास सुरक्षित रखा जायेगा। **(Note:- Payment of fee shall be accepted through online mode only.)**

(ii) ऑनलाईन भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

(iii) अभ्यर्थी ऑनलाईन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद को प्रिन्ट कर ऑनलाईन आवेदन के विहित कॉलम में अंकित करेगें।

(iv) वैसे सभी कोटि के अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जाति के अनुरूप आवेदन शुल्क जमा करते हैं, और भविष्य में उनके द्वारा संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो रियायती आवेदन शुल्क (Concessional Application Fee) के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता रदद् कर दी जायेगी। निःशक्त अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे यदि स्वेच्छा से आवेदन शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी।

5. फोटो पहचान पत्र (Photo ID) एवं ड्राईविंग लाईसेंसः–

उम्मीदवार को ऑनलाईन आवेदन भरते समय अभ्यर्थी के पास चार पहिया वाहन का वैध ड्राईविंग लाईसेंस होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त 01 फोटोयुक्त पहचान पत्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर आधार कार्ड संख्या (Aadhar No.) अंकित करना आवश्यक है। आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा पैन कार्ड/Voter-ID Card इत्यादि की संख्या अंकित कर सकते हैं। उम्मीदवार द्वारा ऑनलाईन आवेदन मे प्रविष्ट किये गये फोटो पहचान पत्र को परीक्षा/काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

6. चयन की प्रक्रियाः–

(i) **<u>प्रथम चरण</u>ः– अर्हक परीक्षा** – आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रथम चरण में **<u>Computer Based Test-I</u>** के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा।

(a) उक्त परीक्षा का प्रश्न–पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। प्रश्न वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार के होंगे। परीक्षा में 100 अंकों का एक प्रश्न–पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या–100 होगी एवं परीक्षा की अवधि दो(02) घंटे की होगी। प्रश्न–पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे।

(b) परीक्षा में गलत उत्तर के लिए **नकारात्मक अंकन (Negative Marking)** लागू किया जायेगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 01 अंक देय होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु (0.25) अंक काटा जाएगा।

(c) उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में Computer Based Test के माध्यम से आयोजित किया जायेगा एवं एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम **समानीकरण (Normalization)** की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा।

(d) उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की समानीकरण (Normalization) की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा–फल घोषित किया जाएगा।

(e) **<u>पाठ्यक्रम</u>** – Computer Based Test-I हेतु पाठ्यक्रम **मैट्रिक स्तरीय सामान्य बुद्धिमत्ता/तर्कशक्ति/Numerical Aptitude/सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुददों** से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे।

(f) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प सं०–2374, दिनांक–16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–962, दिनांक–22.01.2021 द्वारा लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जायेंगे।

नोटः– Computer Based Test-I **में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नहीं होने के कारण प्रतियोगिता से बाहर हो जाने के लिए अभ्यर्थी का कोई दावा मान्य नहीं किया जायेगा।**

(g) Computer Based Test-I एवं संविदा के आधार पर नियोजित वाहन चालक के कार्यानुभव के लिए अंकों का अवधारण निम्नवत् होगाः–

i	अर्हक परीक्षा (Computer Based Test-I) में Qualified अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकों के प्रतिशत के लिए	75 अंक
ii	बिहार सरकार के कार्यालयों में संविदा के आधार पर विधिवत् नियोजित वाहन चालक के वाहन चालन के कार्यानुभव के लिए **(प्रत्येक वर्ष के वाहन चालन अनुभव के लिए 5 (पांच अंक), अधिकतम 25 (पचीस अंक))** किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में 05 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा), (सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०–1003, दिनांक–22.01.2021)।	25 अंक
	कुलः–	**100 अंक**

नोटः– **(i) अभ्यर्थी द्वारा अर्हक परीक्षा में प्राप्तांक के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंको का प्रतिशत को 0.75 के गुणक से गुणा करके अवधारित किया जायेगा। यथा यदि– किसी अभ्यर्थी को कुल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ हो, तो उसे 50X0.75=37.5 अंक दिये जायेगें।**
(ii) कार्यानुभव प्रमाण–पत्र देने हेतु अभ्यर्थी संविदा पर विधिवत् नियोजित होकर जिस कार्यालय में कार्य कर रहे हो, वहाँ के कार्यालय प्रधान सक्षम प्राधिकार होंगे।

अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं संविदा पर नियोजित होकर वाहन चालन के कार्य अनुभव से प्राप्त अंको के आधार पर रिक्तियों के 2.5 गुणा सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार **वाहन चालन एवं वाहन की सामान्य जानकारी के जाँच** हेतु किया जायेगा।

"Computer Based Test-I एवं कार्यानुभव का अंक मेधा–सूची का आधार नहीं होगी। Computer Based Test-I एवं कार्यानुभव का अंक केवल वाहन चालन एवं वाहन की सामान्य जानकारी के जाँच के लिए अर्हक (Qualifying) होगी।"

(ii) द्वितीय चरणः– वाहन चालन एवं वाहन की सामान्य जानकारी संबंधी दक्षता जाँच– प्रथम चरण में अवधारित प्रक्रिया में सफल अभ्यर्थियों को वाहन चालन संबंधी दक्षता जाँच में सम्मिलित होने का अवसर दिया जायेगा। इस दक्षता जाँच (वाहन चालन एवं वाहन की सामान्य जानकारी) का अधिकत्तम अवधारित अंक 100 होगा, जिसमें वाहन चालन एवं वाहन की सामान्य जानकारी के जाँच हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी एवं उम्मीदवारों के प्रदर्शन (Performance) के आधार पर उन्हें निम्नलिखित रीति से अंक प्रदान किये जायेंगेः–

(क) चार पहिया वाहन चालन जाँच हेतु मापदंडः–

ऑटोमेटेड पद्धत्ति से वाहन दक्षता की जाँच निम्न मापदंडों के अनुरूप किया जाएगाः–

Sl.	Track	Parameter	Proposed marks	Proposed Parameter Wise Marks	Remarks
1	Use of seat belt	During the entire duration of the test	10/0	10	
2	Gradient – Track / Up hill	Stopping at up hill zone	5/0	5	
		Roll back on up hill (not more than 1 feet)			
3	Parallel Parking	Kerb hit (not more than 1)	10/0	25	Note– not Following Correct Path Minus 25 Marks
		Unscheduled reverse (not more than 4)	5/0		
		Standard Path			
		Parking inside the box	10/0		
4	Driving at Junction	Obeying traffic signal	10/0	15	
		Halting at stop line/zebra crossing	5/0		

5	8 - Track	Kerb hit (not more than 1)	10	20	Note:– Incorrect "8" Formation Minus 20 marks
		No reverse	5/0		
		Standard path			
		Stoppage (more than 5 sec)	5/0		
6	Reverse 'S' formation	Kerb hit (not more than 3)	10/0	25	Note – Driving in Forward Minus 25 Marks
		Stoppage (more than 5 sec)	5/0		
		Forwards (not more than 2)	10/0		
		Standard path			
	Full Marks			**100**	
	Pass Marks			**60**	
Note:-	**Applicant face will be recorded & verified during entire test, in case of any discrepancy applicant will be disqualified.**				
	In case of major faults, over speeding, resigning from the test and not scoring minimum passing marks candidate will be disqualified.				
	उक्त दक्षता जाँच हेतु अभ्यर्थी को मात्र एक मौका दिया जाएगा।				

(ख) वाहन की सामान्य जानकारी से संबंधित Computer Based Test-II के माध्यम से जाँच हेतु **मापदंड:**– आयोग प्रथम चरण में सफल अभ्यर्थियों हेतु Computer Based Test-II के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा।

(a) उक्त परीक्षा का प्रश्न–पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। प्रश्न वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार के होंगे। परीक्षा में 50 अंकों का एक प्रश्न–पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या–25 होगी एवं परीक्षा की अवधि एक(01) घंटे की होगी।

(b) परीक्षा में गलत उत्तर के लिए **नकारात्मक अंकन (Negative Marking)** लागू किया जायेगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 02 अंक देय होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु (0.50) काटा जाएगा।

(c) **पाठ्यक्रम** – Computer Based Test-II हेतु यातायात के चिन्हों और संकेतों से संबंधित प्रश्नों, विभिन्न गाड़ियों के पार्ट–पूर्जे, रख–रखाव तथा लुब्रिकेटिंग इत्यादि के सामान्य ज्ञान तथा वाहनों में आनेवाली सामान्य यांत्रिक एवं तकनीकी त्रुटियों से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे।

(d) Computer Based Test-II में भी अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक, जो उपरोक्त कंडिका–06(i)(f) में वर्णित है, प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जायेंगे, जिसके लिए अभ्यर्थी का कोई दावा मान्य नहीं किया जायेगा।

(ग) ऑटोमेटेड पद्धत्ति से वाहन दक्षता की जाँच एवं वाहन की सामान्य जानकारी से संबंधित Computer Based Test-II अंकों के आधार पर चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधासूची निम्न प्रकार तैयार की जायेगी:–

i	ऑटोमेटेड पद्धत्ति से वाहन दक्षता की जाँच में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांक के लिए	80 अंक
ii	वाहन की सामान्य जानकारी के Computer Based Test-II में Qualified अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए	20 अंक
	कुल:–	**100 अंक**

नोट:– **(i) ऑटोमेटेड पद्धत्ति से वाहन दक्षता की जाँच के प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किया जाने वाला अंकों का अवधारण उक्त जाँच में प्राप्त कुल अंकों को 0.8 के गुणक से गुणा करके होगा। अर्थात, यदि किसी अभ्यर्थी को ऑटोमेटेड पद्धत्ति से वाहन दक्षता की जाँच कुल 75 अंक प्राप्त हुआ हो, तो उसे 75X0.8=60 अंक दिये जायेगें।**

(ii) वाहन की सामान्य जानकारी के Computer Based Test-II परीक्षा के प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किया जाने वाला अंकों का अवधारण उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों को 0.4 के गुणक से गुणा करके होगा। अर्थात, यदि किसी अभ्यर्थी को वाहन की सामान्य जानकारी के Computer Based Test-II में कुल 30 अंक प्राप्त हुआ हो, तो उसे 30X0.4=12 अंक दिये जायेगें।

7. अभ्यर्थी, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि अर्थात **दिनांक:–01.09.2023** तक संविदा के आधार पर बिहार सरकार के कार्यालयों में विधिवत् नियोजित वाहन चालक के वाहन चालन के अवधि का कार्यानुभव प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु उस कार्यालय के प्रधान सक्षम प्राधिकार होंगे, आवेदन के विहित कॉलम में दर्ज करेगें।

8. <u>महत्वपूर्ण निर्देश</u>:– ऑनलाइन आवेदन–पत्र में योग्यता/आरक्षण/कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण–पत्र/अंक पत्र, यथा–

(i) Matriculation का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण–पत्र

(ii) ड्राईविंग लाइसेंस

(iii) जाति प्रमाण–पत्र/क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण–पत्र

(iv) स्थायी निवास/आवासीय प्रमाण–पत्र

(v) बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का प्रमाण–पत्र

(vi) कार्यानुभव प्रमाण–पत्र

से संबंधित सूचना की प्रविष्टि कर उक्त सभी प्रमाण–पत्र/अंक पत्र विहित Column में Upload करना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी प्रमाण–पत्र/अंक पत्र Upload नहीं किये जाने पर अभ्यर्थिता रद्द करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।

उक्त सभी प्रमाण–पत्र/अंक पत्र वही मान्य होंगे, जिसका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल ऑनलाईन आवेदन–पत्र में किया है। उक्त सभी प्रमाण–पत्रों/अंक पत्र का संख्या एवं निर्गत तिथि का उल्लेख ऑनलाईन आवेदन में किया जाना एवं विहित Column में Upload किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त सभी प्रमाण–पत्र/अंक पत्र **दिनांक–30.09.2023** तक का निर्गत होना अनिवार्य है।

9. कंडिका–6(i)(g)(ii) के अंतर्गत कार्य अनुभव का दावा करने वाले उम्मीदवारों के द्वारा वाहन चालक के पद पर संविदा के आधार पर बिहार राज्य के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत रहने का कार्यानुभव संबंधी प्रमाण–पत्र निर्गत करने के लिए संबंधित **कार्यालय प्रधान** सक्षम प्राधिकार होंगे।

10. विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण–पत्र एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा सत्यापन के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण–पत्र का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

11. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र, अंक–पत्र सत्यापन के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सत्यापन के समय प्रमाण–पत्र नहीं प्रस्तुत करने/त्रुटिपूर्ण होने की दशा में अलग से कोई भी प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

12. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट <u>www.btsc.bih.nic.in</u> पर प्रकाशित की जाएगी। अतः अभ्यर्थी आयोग के वेबसाईट का सतत् अवलोकन करते रहेंगे। अलग से समाचार पत्रों में प्रकाशन किये जाने, S.M.S अथवा E-mail के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किये जाने की बाध्यता नहीं होगी।

13. इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवदेन से अलग मुद्रित, टंकित, हस्त लिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेगें तथा शुल्क वापस नहीं किये जायेगें।

14. **आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे। ऑनलाईन आवेदन में सुधार हेतु किसी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं वैसे आवेदनों को निरस्त कर दिया जायेगा।**

15. आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी को वाहन चालन एवं वाहन की सामान्य जानकारी संबंधी दक्षता जाँच एवं काउंसलिंग कराना अनिवार्य होगा। उक्त जाँच एवं काउसंलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थी को पुनः जाँच एवं काउंसलिंग कराने हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।

16. <u>ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित अन्य निर्देश निम्नांकित हैं</u>:–

(i) ऑनलाईन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी चालान की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रख लेगें।

(ii) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देश का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। **ऑनलाईन**

आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(iii) अभ्यर्थी, अपना नाम, जन्म तिथि, कोटि, आवेदन शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन शुल्क जमा करेंगे।

(iv) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे चयन सूची के अंतिम प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।

(v) मात्र रजिस्ट्रेशन करने एवं ऑनलाईन शुल्क जमा करने से यह नहीं माना जाएगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया हैं।

(vi) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(vii) **फोटोग्राफः–**(क) आवेदक/अभ्यर्थी का फोटो हाल का खींचा होना चाहिए।(तीन माह के अंदर का)

(ख) आवेदक/अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए और फोटो में आँख खुला होना चाहिए।

(ग) बैकग्राउण्ड में सफेद पटल होना चाहिए। फोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होना चाहिए। यदि आवेदक चश्मा लगाते है, तो चश्मा हटाकर फोटो खिचवायेगें।

(घ) कंडिका–16(vii)(क), (ख), (ग) में वर्णित निदेशों के अनुरूप फोटो नहीं रहने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

(viii) अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

(ix) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसी त्रुटियों की स्थिति में अभ्यर्थी तुरंत पूर्व में डाउनलोड किये गए चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में निर्धारित तिथि के अंदर नगद भुगतान कर आवेदन भरने की कार्रवाई करेंगे।

(x) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के बीच की अवधि में अधियाची विभाग के द्वारा/राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त निदेशो तथा आयोग के निर्णय के आलोक में विज्ञापन में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है।

नोटः–1. अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी/जाली प्रमाण–पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेगें अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाण–पत्र फर्जी पाये जाने पर उनकी अभ्यर्थिता रदद् कर दी जायेगी एवं उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

23.8.2023.

प्रभारी सचिव,

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

परिशिष्ट–I

संस्थान/कार्यालय का नामः–..

अनुभव प्रमाण–पत्र

ज्ञापांकः–.....................   दिनांकः–................................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता– .... पता– .... की नियुक्ति विभागीय अधिसूचना/कार्यालय आदेश सं०–.................., दिनांक–............................. द्वारा संविदा के आधार पर .... (पदनाम) के पद पर नियुक्ति के पश्चात .... (कार्यालय का नाम) में.. (पदनाम) के रूप में दिनांक– .... से .... तक पदस्थापित एवं कार्यरत हैं/थे।

इनका प्रतिमाह वेतन/मानदेय .... की दर से भुगतान किया जाता है/था।

कार्यालय मुहर   (हस्ताक्षर)

निर्गत करने वाले सक्षम
पदाधिकारी का पूरा नामः–......................................

पदनामः–..

प्रशासी विभाग का नामः–..................................